न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 15 / 2023	2023 / 302	29.03.2023	15.04.2024

1. बिहारीलाल पुत्र श्री रामसिंह,
2. देवीसिंह पुत्र श्री बाबूलाल,
3. मनोज पुत्र श्री बाबूलाल, जाति समस्त जाट, निवासीयान ग्राम खेडलीचन्द्रावत, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राज0।

अपीलाण्ट्स

<u>बनाम</u>

1. तहसीलदार लक्ष्मनगढ, जिला अलवर।
2. बलराम पुत्र श्री जगदेव पटवारी (तत्कालीन) हल्का नांगल खानजादी, तहसील लक्ष्मनगढ, जिला अलवर।
3. भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा राजगढ जिला अलवर जरिये शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा राजगढ जिला अलवर।
4. भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा रामगढ जिला अलवर जरिये शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा रामगढ जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 01.07.2011 नामान्तकरण संख्या 1119 वाके ग्राम खेडली चन्द्रावत तहसील लक्ष्मणगढ।

उपस्थितः—

01. श्री मूलचंद चौधरी — वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री बी0एस0 अदलखा — रेस्पोडेन्ट संख्या 04

<u>—:: निर्णय ::—</u>

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 01.07.2011 नामान्तकरण संख्या 1119 वाके ग्राम खेडली चन्द्रावत तहसील लक्ष्मणगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण को स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 द्वारा दिनांक 01.07.2011 को इंतकाल (रहन) संख्या 1119 मिन अपीलान्टान के पीछे से बालाबाला रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम स्वीकार किया गया है। जबकि मिन अपीलान्टान द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 4 से उक्त ऋण प्राप्त किया था, जिसकी जानकारी मिन अपीलांटान को माह नवम्बर 2020 में हुई जबकि मिन अपीलान्टान अपनी आराजी को रहन फक कराने हेतु गया जिस पर मिन अपीलान्टान द्वारा तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ के प्रार्थना पत्र पेश कर इंतकाल को दुरूस्त कराने की प्रार्थना की किन्तु तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

दिनांक 19.01.2021 को भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नामांतकरण खारिज कर दिया। जिस पर मिन अपलान्ट ने दिनांक विवादित इंतकाल संख्या 1119 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 17.03.2023 को प्राप्त हुई उसके उपरांत मिन अपीलान्टान ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होंने अपील पेश करने की सलाह दी। इस प्रकार आज्ञा दिनांक 01.07.2011 से दिनांक 17.03.2023 तक का समय माफ किये जाने योग्य है। उक्त इंतकाल त्रुटि पूर्ण भू0अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का तत्कालीन द्वारा गलत रूप से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में कानूनन अपील प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं होती है फिर भी एफाए हुज्जत अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है। यह है कि मिन अपीलान्टान इंतकालाधीन आराजी वाके ग्राम खेडली चन्द्रावत के सहखातेदार काश्तकार है। मिन अपीलान्टान द्वारा उक्त आराजी पर भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा रामगढ जिला अलवर से कृषि ऋण प्राप्त किया था, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त बैंक के नाम इंतकाल रहन दर्ज हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई, जिसके आधार पर विवादित इंतकाल भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) के नाम स्वीकार नही कर भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा राजगढ के नाम स्वीकार कर दिया गया। अपीलान्टान का भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा राजगढ से कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नही है, ना ही कभी मिन अपीलान्टान का उक्त बैंक में ऋण खाता है और ना ही मिन अपीलान्टान द्वारा उक्त बैंक से कभी ऋण प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में उक्त इंतकाल संख्या 1119 दिनांक 01.07.2011 निरस्त कर संशोधित कर उक्त इंतकाल भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा रामगढ जिला अलवर के नाम इंतकाल (रहन) स्वीकृत किया जाना न्याय संगत है कि जिस हेतु यह अपील पेश की जा रही है। अन्य उजात वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेगें। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 की आज्ञा दिनांक 01.07.2011 इंतकाल (रहन) संख्या 1119 वाके ग्राम खेडली चन्द्रावत तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर जो कि भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा राजगढ के नाम इंतकाल (रहन) स्वीकृत किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं वकीलों के पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैसपोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। पत्रावली पर तथ्यों, भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा रामगढ के पत्र दिनांक 19.11.2020 एवं भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा राजगढ के पत्र 01.12.2020 से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा रामगढ जिला अलवर से कृषि ऋण प्राप्त किया था ना कि भारतीय स्टेट बैंक (एडीबी) शाखा राजगढ से। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 01.07.2011 द्वारा स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 1119 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट नामांतरकरण संख्या 1119 ग्राम खेडली चंद्रावत तहसील लक्ष्मणगढ में बैंक के नाम की हद तक संशोधन करने तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जांच करे की कौनसे बैंक का ऋण इंतकाल पर आयेगा। उस पर विधिवत सुनकर एक महीने में आदेश पारित कर नामान्तकरण को संशोधित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)